

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

24 12  
2020

अभिलेख उपस्थापित। नारंगा देवगम, पिता-स्व० तुराम देवगम, ग्राम-मतकमहातु, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- मतकमहातु, थाना नं0- 642, खाता न0- 05, प्लॉट न0- 1426, रकवा- 0.08 $\frac{1}{2}$  एकड़ भूमि क्रेता 1.मंगरा बरजो, पिता-नगेन्द्र बरजा 2.डुसु मुन्डाइन,पति-मंगरा बरजो, ग्राम-गुन्डीपुआ, थाना- मुफसिल, चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम हालसर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी,सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1282, दिनांक 19.12.2020 के द्वारा प्राप्त है। पक्का मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता 1.मंगरा बरजो, पिता-नगेन्द्र बरजा 2.डुसु मुन्डाइन, पति-मंगरा बरजो ग्राम-गुन्डीपुआ, थाना- मुफसिल,चाईबासा के पास 7,68,000.00 /-(सात लाख अड़सठ हजार) रूपये मात्र में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी 3.00 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुन्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता नारंगा देवगम, पिता-स्व० तुराम देवगम, ग्राम-मतकमहातु, थाना- मुफसिल जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलपी, थाना नं0- 642,खाता न0- 05, प्लॉट न0- 1426, रकवा-0.08 $\frac{1}{2}$  एकड़ भूमि को क्रेता 1.मंगरा बरजो, पिता-नगेन्द्र बरजो 2.डुसु मुन्डाइन, पति-मंगरा बरजो ग्राम-गुन्डीपुआ, थाना- मुफसिल, चाईबासा जिला- पश्चिमी सिंहभूम के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ..... अनुमति ..... दी जाती है।

लेखापित



भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।